न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/70/2018 दर्ज दिनांकः—30.10.2018

1. गुलराज गोपाल उर्फ गोपाल पुत्र बैनी प्रसाद, पता— ग्राम पीपला तहसील व जिला भरतपुर। ....प्रार्थी

बनाम

2. राजस्थान सरकार

उपस्थितः

सुरेश चन्द गुप्ता प्रार्थी अभिभाषक

—————— अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः—04.01.2019

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी गुलराज गोपाल जाति वैश्य निवासी पीपला तहसील भरतपुर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 741/0.17 बावत प्रार्थी ने पूर्व में दावा किया था जो दिनांक 20.01.2014 को डिक्री हुआ। प्रार्थी ने अपने दावा की पुष्टि में असल वसीयत पेश की थी। प्रार्थी वसीयत की सत्य प्रतिलिपि प्रस्तुत कर रहा है। असल वसीयत लौटाई जावे।

हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी का पूर्व दावा सं. 153/2007 गुलराज गोपाल बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 20/01/2014 को प्रार्थी के पक्ष में डिक्री हुआ है। असल वसीयत मूल दावा में संलग्न है। चूंकि मुकदमा का निस्तारण किया जा चुका है। अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी को मूल वसीयत लौटाते हुए उसके स्थान पर प्रमाणित वसीयत की नकल चस्पा की जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द. हो।

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official